

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(3)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक: 7.9.17

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1981 की अनुसूची एवं प्रतिस्थापित कार्मिक क-2 विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.05.2017 के द्वारा संयुक्त विधि परामर्शी एवं उप विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु अनुभव में संशोधन कर दिनांक 01.04.2016 से लागू किया गया है। इस कारण से राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत उप विधि परामर्शी की वर्ष 2016-17 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26.08.2017 को आयोजित की गई। पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित सहायक विधि परामर्शी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इन्हें उप विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-3 (15600-39100) GP No.-19 (7200) में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि
1.	विनोद कुमार अग्रवाल	01.04.2016
2.	कैलाश राम इनानियां	01.04.2016
3.	प्रकाश गुप्ता	01.04.2016
4.	अशोक कुमार घीया	01.04.2016
5.	विनोद कुमार शर्मा	01.04.2016
6.	विजय प्रसाद शर्मा	01.04.2016
7.	श्रीमती नीता विजय मिश्रा	01.04.2016
8.	हरिकृष्ण टूटेजा	01.04.2016
9.	हारून अली	01.04.2016
10.	बदनलाल	01.04.2016
11.	देवेन्द्र पाल मीणा, अजजा	01.04.2016
12.	लाला राम, अजा	01.04.2016
13.	नरेन्द्र कुमार आर्य, अजा	01.04.2016
14.	शुभकरण	01.04.2016
15.	बद्रीनारायण व्यास	01.04.2016
16.	महेन्द्र कुमार बिडियासर	01.04.2016
17.	श्रीमती सुलेखा शर्मा	01.04.2016
18.	नियाज मोहम्मद	01.04.2016
19.	अशोक गुप्ता	01.04.2016
20.	मनोहर लाल(प्रथम)	01.04.2016
21.	हरिश कुमार शर्मा	01.04.2016
22.	केदारनाथ	01.04.2016
23.	हरदयाल सिंह	01.04.2016
24.	रमेश चंद कुमावत	01.04.2016
25.	छैलबिहारी अग्रवाल	01.04.2016

7-9-17
07-60-70

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि
26.	हरिराम पुरोहित	01.04.2016
27.	ब्रजबिहारी शर्मा	01.04.2016
28.	श्रीमती आशा शर्मा	01.04.2016
29.	विनोद कुमार जांगिड़	01.04.2016
30.	शैलोज कुमार	01.04.2016
31.	राजेश्वर सिंह	01.04.2016
32.	उत्तम सिंह	01.04.2016
33.	जगदीश प्रसाद	01.04.2016
34.	उमेन्द्र कुमार गोयल	01.04.2016

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

प. 01/04/17

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. संबंधित अधिकारी/विभाग।
7. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

Awany 07-09-17

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव